

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा-12(5)आं.जां./आं.जां.का./2017-18/1518

दिनांक: 20-06-2017

आन्तरिक अंकेक्षण कार्य आदेश

क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निदेशालय के आन्तरिक अंकेक्षण दलों को वर्ष 2017-18 की द्वितीय तिमाही (1 जुलाई 2017 से 30 सितम्बर 2017) का अंकेक्षण कार्यक्रम जारी करते हुए निम्नांकितानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर समस्त अंकेक्षण दल सम्बन्धित संभाग मुख्यालयों/निदेशालय पर उपस्थित रहेंगे।
2. समस्त अंकेक्षण दल प्रभारी अंकेक्षण कार्यालय में, अंकेक्षण प्रारम्भ करते ही वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार को दूरभाष पर अवगत करावे तथा अंकेक्षण कार्यालय के दूरभाष नम्बर भी नोट करावें। इसकी सूचना पत्र के माध्यम से भी भिजवावें। अंकेक्षण दल प्रभारी अंकेक्षण दल द्वारा किये जा रहे कार्य का दिनांक वार संक्षिप्त पाक्षिक कार्य विवरण नियमित रूप से माह में दो बार (दिनांक 5 एवं दिनांक 20 तक) मुख्य लेखाधिकारी (अंकेक्षण) एवं सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में अंकेक्षण दलों के यात्रा भत्ता बिल प्रतिहस्ताक्षर किये जाने सम्भव नहीं होंगे।
3. (i) समस्त अंकेक्षण प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि अंकेक्षण कार्य के दौरान संबन्धित कार्यालय के वर्ष 03/1985 तक के समस्त बकाया आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की जावें। वर्ष 03/1985 तक के समस्त बकाया आक्षेपों की अनुपालना प्राप्त करें। एवं जो पैरा नियमों के अनुसार अनुपालना प्राप्त होने पर अंकेक्षण प्रभारी को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निरस्त करने की अभिशन्सा करेंगे, एवं शेष बकाया पैराज को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भाग स में अंकित करेंगे तथा 03/1985 से पूर्व बकाया पैराज को पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदन से समाप्त कर पूर्व पैराज की एनेक्जर सहित/प्रतिलिपि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न करेंगे। इन निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें। इसके अभाव में अंकेक्षण प्रतिवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।  
(ii) अंकेक्षण दल प्रभारी आवंटित संस्थाओं का अंकेक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्था के वर्ष 1985 के पश्चात् के बकाया प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की टोस पालना करवाई जाकर अनुपालना संबन्धित संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ ही प्रेषित की जाये। कार्यालय के बकाया आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना तैयार कराने संबंधी कार्य को आपके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को भरते समय ध्यान में रखा जावेगा। अनुपालना तैयार करने में आप कार्यालयाध्यक्ष को अपेक्षित राय/सहयोग प्रदान करें।  
(iii) जिन आक्षेपों को सत्यापन की शर्त पर निरस्त किया गया है उनका संस्था की अद्यतन पालना के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक रेकार्ड देखकर सत्यापित करे एवं अनुपालना में स्पष्ट टिप्पणी करें कि संस्था द्वारा आक्षेप की पालना पूर्ण एवं सही की गयी है। ऐसे आक्षेपों को निरस्त किये जाने की सिफारिश अलग से पत्र द्वारा अंकेक्षण दल प्रभारी द्वारा की जावे और यदि पालनानुसार कार्रवाई पूर्ण नहीं पायी जावे तो ऐसे आक्षेपों को प्रतिवेदन के भाग-"स" में पुनः सम्मिलित कर लिया जावे।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की स्वीकृति आई.डी. सं. 151000473 दिनांक 21/05/2010 एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश क्रमांक F.1(98)NRHM/Accts/2009/6179 दिनांक 31/05/2010 के अनुसरण में समस्त आन्तरिक अंकेक्षण दल विभागीय अभिलेखों के अंकेक्षण के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित अभिलेखों (मय जननी सुरक्षा एवं जननी शिशु सुरक्षा योजना के अभिलेखों के) का आन्तरिक अंकेक्षण कार्य भी पूर्ण करेंगे।  
इस सम्बन्ध में अंकेक्षण दलों द्वारा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया जावेगा, एक भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मदों से सम्बन्धित होगा तथा द्वितीय भाग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित होगा जिसमें जननी सुरक्षा एवं जननी शिशु सुरक्षा योजना के भुगतानों के बारे में विशेष उल्लेख किया जावेगा।  
आन्तरिक अंकेक्षण दलों द्वारा दोनों जांच प्रतिवेदन (विभागीय अभिलेखों एवं एन.आर.एच.एम. अभिलेखों के अलग-अलग) पूर्व की भांति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये जावेंगे।
5. निदेशालय के पत्रांक लेखा-12(5)/आं.अंके./मु.नि.द.यो./2015/880 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा एम. एन.डी.वाई/एम.एन.जे.वाई. के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की जांच हेतु निर्देश दिये गये है उक्त योजना के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की जांच कर आक्षेप/टिप्पणी गठित किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. अंकेक्षण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लेखा मदों तथा एन.आर.एच.एम. एवं अन्य योजनाओं के लेखा मदों से सम्बन्धित समस्त लेखा रिकॉर्ड सहित आर.एम.आर.एस. के लेखों की जांच की जावें। गठित किये जाने वाले आक्षेपों में आक्षेप का विवरण (विषय वस्तु) सम्बन्धित नियमों जिनका उल्लंघन हुआ है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावें एवं आक्षेप में अपेक्षित कार्यवाही या सुझाव प्रस्तावित किया जावें।

7. समय-समय पर जारी किये गये अग्रिमों एवं उनके समायोजन की जांच की जाकर प्रतिवेदन में अलग से आक्षेप गठित किये जावें।
8. दिनांक 09.07.14 को अंकेक्षण दलों की आयोजित मीटिंग में उपलब्ध कराये गये मॉडल अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं मॉडल आक्षेप मीमो में उल्लेखित बिन्दुओं को शामिल करते हुये ही प्रतिवेदन तैयार कर भिजवायें अन्यथा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आक्षेपों के क्रमांक में एकरूपता बनाये रखे जाने हेतु मूल आक्षेप, उप-आक्षेप का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
9. आंतरिक अंकेक्षण दलों द्वारा जांच कार्य के दौरान जारी किये जाने वाले समस्त मांग-पत्रों (मीमोज) के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तर एवं मांग पत्रों को प्रतिवेदन के एनेक्सर के रूप में सम्मिलित किये जावे।
10. अंकेक्षण समाप्ति पर निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्यालयाध्यक्ष से विचार विमर्श कर तथ्यों की पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर करवाकर विभागीय बजट मद (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लेखा मद) से सम्बन्धित प्रतिवेदन तीन प्रतियों में तथा एन.आर.एच.एम. अभिलेखों का प्रतिवेदन चार प्रतियों में 7 दिवस में अगले कार्यालय से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अ.शा. पत्र द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भिजवायें।
11. अंकेक्षण दल में सहायक लेखाधिकारी/प्रभारी का पद किन्हीं कारणों से रिक्त होने/अवकाश पर होने की स्थिति में कनिष्ठ लेखाकार के द्वारा सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय संबंधित जोन के पर्यवेक्षण में/साथ में जांच कार्य किया जावे। अंकेक्षण दल प्रभारी अधिकारी एवं सदस्य, अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए लघु हस्ताक्षर करेंगे।
12. बिना पूर्व अनुमति के कार्य स्थल का त्याग नहीं करें। यदि अंकेक्षण दल के प्रभारी या सदस्य को किसी कारण से ड्यूटी मुख्यालय छोड़ना हो तो उसकी सूचना दूरभाष/फैक्स से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल दी जाय। ऐसा न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
13. जारी किये गये त्रैमासिक अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में ही अंकेक्षण कार्य सम्पादित करे। अंकेक्षण कार्यक्रम में यदि किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन वांछनीय हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता की बिना पूर्व अनुमति के परिवर्तन नहीं किया जावे। विशेष परिस्थितियों में समय अवधि विस्तार की पूर्व अनुमति हेतु कारणों से अवगत कराते हुए किये गये कार्य व शेष रहे अंकेक्षण कार्य का संक्षिप्त विवरण पर्याप्त समय पूर्व फैक्स के माध्यम से प्रेषित करें। बिना अनुमति के किया गया परिवर्तन/संशोधन जानबूझकर की गयी आदेशों की अवहेलना मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
14. अंकेक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता का बार-बार उजागर होना पाया जावे एवं अंकेक्षण दल प्रभारी आवश्यक समझे तो ऐसी मदों के सम्बन्ध में ऐसे सम्पूर्ण कार्यकाल का विस्तृत अंकेक्षण किया जावे। यदि ऐसी कोई भी गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें अथवा हानि अंकेक्षण के दौरान उजागर हुयी हो तो उसका उल्लेख उपसंहार में भी किया जावे।
15. अंकेक्षण कार्यक्रम में उल्लेखित कार्यालयों में यदि "मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी" संचालित हैं तो उनके लेखों का अंकेक्षण भी आवश्यक रूप से उक्त निर्धारित अवधि में किया जाकर विभागीय लेखामद (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बजट मद) से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन आक्षेपों को सम्मिलित किया जावे।
16. आक्षेपों में आक्षेपित हानि/अनियमित राशि का हवाला देते हुए पैरा के शीर्षक में भी राशि का स्पष्ट अंकन करें। हानि/अनियमितता के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम आक्षेप में स्पष्ट अंकित करें।
17. आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय तथा आवास दूरभाष नम्बर व मोबाईल नम्बर के साथ ही अंकेक्षण कार्य में लिये गये कुल कार्य दिवसों की संख्या तथा गठित कुल आक्षेपों की संख्या भी अंकित की जावें।
18. स्टोर में पाई गई कमी/बेशी का अंकेक्षण प्रतिवेदन में आवश्यक रूप से उल्लेख करें।
19. समस्त परिशिष्ट प्रतिवेदन के बीच-बीच में सलंगन न कर के प्रतिवेदन के अंत में एक साथ सलंगन करें जिन पर परिशिष्ट क्रमांकों के साथ आक्षेप क्रमांक भी अंकित हो एवं प्रतिवेदन में गठित आक्षेप में परिशिष्ट संख्या व उसके पृष्ठ क्रमांकों का भी अंकन करें।
20. अंकेक्षण प्रतिवेदन में जो आक्षेप गम्भीर प्रकृति के हैं। उन्हें अपने अग्रेषित पत्र में दर्शावें।

**विभागीय आंतरिक अंकेक्षण दलों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय तिमाही  
(1 जुलाई 2017 से 30 सितम्बर 2017) का अंकेक्षण कार्यक्रम)**

क्र. सं.	अंकेक्षण दल प्रभारी/सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	अंकेक्षण लेखा अवधि	अंकेक्षण हेतु निर्धारित तिथियां
1.	श्री सुरेश कुमार शर्मा, स. लेखाधिकारी, जोन-जयपुर मो. 9829918072 जयपुर-प्रथम दल	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी, जयपुर	04/14 से 03/17	03.07.17 से 10.07.17
		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा	04/14 से 03/17	11.07.17 से 08.08.17
		प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा	04/12 से 03/17	09.08.17 से 30.08.17
		खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगानेर	04/12 से 03/17	04.09.17 से 29.09.17
2.	श्री च्यवन सिंह जोरवाल AAO I मो. 9829659634 श्री के.के. शर्मा, AAO II मो. 8385934302 भरतपुर-प्रथम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाँली	प्रारम्भ से 03/17	04.07.17 से 25.07.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चैन, भरतपुर	04/10 से 03/17	26.07.17 से 09.08.17
		प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर	4/14 से 03/17	10.08.17 से 06.09.17
		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करोली	04/12 से 03/17	07.09.17 से 29.09.17
3.	श्री केशवदेव मीणा, सहायक लेखाधिकारी मो. 8619796329 कोटा-द्वितीय दल	खण्ड मुख्य चिकि0 अधि0, किशनगढ़ बांरा	प्रारम्भ से 03/17	04.07.17 से 25.07.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा	04/08 से 03/17	26.07.17 से 21.08.17
		खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छबड़ा	04/08 से 03/17	22.08.17 से 14.09.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहबाद, बांरा	04/15 से 3/17	15.09.17 से 29.09.17
4.	श्री उत्तम चन्द, सहायक लेखाधिकारी मो. 9252240736 कोटा-द्वितीय दल	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़	04/08 से 03/17	04.07.17 से 25.07.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केशोरायपाटन	प्रारम्भ से 03/17	26.07.17 से 21.08.17
		खण्ड मुख्य चिकि0 अधि0, हिण्डोली (बून्दी)	04/14 से 03/17	22.08.17 से 14.09.17
		खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अकलेरा	04/11 से 03/17	15.09.17 से 29.09.17
5.	श्री रूपश्याम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी मो. 9414426762 अजमेर-प्रथम दल	जिला अस्पताल नागौर	04/10 से 03/17	04.07.17 से 25.07.17
		खण्ड मुख्य चिकि0 अधि0, कोटडी, भीलवाड़ा	प्रारम्भ से 03/17	26.07.17 से 22.08.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटडी, भीलवाड़ा	04/06 से 03/17	23.08.17 से 13.09.17
		खण्ड मुख्य चिकि0 अधि0, रायपुर, भीलवाड़ा	प्रारम्भ से 03/17	14.09.17 से 29.09.17
6.	श्री घनश्याम तंवर, सहायक लेखाधिकारी मो. 9414981780 अजमेर-द्वितीय दल	खण्ड मुख्य चिकि0 अधि0, भीम, राजसमन्द	12/07 से 03/17	10.07.17 से 04.08.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केकडी, अजमेर	04/10 से 03/17	08.08.17 से 24.08.17
		खण्ड मु0 चिके0 अधि0, आसिन्द, भीलवाड़ा	प्रारम्भ से 03/17	28.08.17 से 29.09.17
7.	श्री बालकृष्ण तिवाडी स. लेखाधिकारी-द्वितीय मो. 9413844483 जोधपुर-प्रथम दल श्री दामोदर लाल स. लेखाधिकारी-द्वितीय मो. 9414568951	खण्ड मुख्य चिकि0 अधि0, सायला, जालौर	प्रारम्भ से 03/17	04.07.17 से 18.07.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायला, जालौर	04/11 से 03/17	19.07.17 से 31.07.17
		खण्ड मु0 चिके0 अधि, जसवन्तपुरा, जालौर	प्रारम्भ से 03/17	02.08.17 से 21.08.17
		सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तपुरा, जालौर	04/08 से 03/17	22.08.17 से 30.08.17
		खण्ड मुख्य चिकि0 अधि0, भीनमाल, जालौर	प्रारम्भ से 03/17	04.09.17 से 18.09.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल, जालौर	04/09 से 03/17	20.09.17 से 29.09.17
8.	श्री बालूराम जाट, सा0 लेखा0 आं0 जां0 दल-I बीकानेर मो. 9414605370	खण्ड मु0 चिके0 अधि0, रावतसर, हनुमानगढ़	प्रारम्भ से 03/17	04.07.17 से 31.07.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर, हनुमानगढ़	04/10 से 03/17	02.08.17 से 22.08.17
		खण्ड मु0 चिके0 अधि0, घडसाना, गंगानगर	प्रारम्भ से 03/17	23.08.17 से 12.09.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घडसाना, गंगानगर	04/11 से 03/17	13.09.17 से 29.09.17

क्र. सं.	अंकेक्षण दल प्रभारी/सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	अंकेक्षण लेखा अवधि	अंकेक्षण हेतु निर्धारित तिथियां
9.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा, सहा0 लेखा0-I श्री विजय कुमार शर्मा, सहा0 लेखा0-II आं0 जां0 दल-II बीकानेर	सामान्य चिकित्सालय सुजानगढ़, चूरु	04/14 से 03/17	04.07.17 से 18.07.17
		खण्ड मु0 चिकि0 अधि0, सुजानगढ़, चूरु	04/11 से 03/17	19.07.17 से 17.08.17
		खण्ड मु0 चिकि0 अधि0, खाजूवाला, बीकानेर	प्रारम्भ से 03/17	18.08.17 से 06.09.17
		प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सरदार शहर, चूरु	प्रारम्भ से 03/17	07.09.17 से 29.09.17
10.	श्री राजेश सोलंकी सा0 लेखा0-II मो. 9414618934 जयपुर (मु0)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा	04/12 से 03/17	04.07.17 से 13.07.17
		खण्ड मुख्य चिकि0 अधि0, धरियाबाद, उदयपुर	प्रारम्भ से 03/17	14.07.17 से 16.08.17
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरियाबाद, उदयपुर	04/06 से 03/17	17.08.17 से 30.08.17
		खण्ड मु0 चिकि0 अधि0, सराड़ा, उदयपुर	04/07 से 03/17	04.09.17 से 29.09.17

30/-  
वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।  
फोन नं. 0141-2225334

दिनांक: 20-06-2017

क्रमांक: लेखा-12(5)आं.जां./आं.जां.का./2017-18/ 1518  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मिशन निदेशक, एन.एच.एम./प्रबन्धक निदेशक, आर.एम.एस.सी., राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक (वित्त), एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय में आन्तरिक अंकेक्षण से संबंधित सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार के पद रिक्त/पदस्थापन होने की सूचना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। आन्तरिक अंकेक्षण दलों के सदस्यों को बिना अद्योहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति अन्य कार्य में नहीं लगाया जावें तथा न, ही किसी भी स्थिति में नाम प्रस्तावित किये जावें।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र/राजकीय चिकित्सालय/टी. बी. क्लिनिक ..... को दी जाकर लेख है कि अंकेक्षण दलों को वांछित सूचनाएं/रिकॉर्ड आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें एवं जांच कार्य प्रारम्भ तिथि से पूर्व ही जांच अवधि का सम्पूर्ण लेखा रिकॉर्ड व्यवस्थित कराते हुए संबंधित स्टॉफ एवं स्वयं उनके द्वारा जांच कार्य में पूर्ण सहयोग दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि कार्य प्रथम दिन से ही प्रारम्भ किया जा सके। अंकेक्षण कार्यक्रम किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जावें।
- निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को फैक्स व रक्षित पत्रावली हेतु।
- ..... लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी एवं प्रभारी, आन्तरिक अंकेक्षण दल संख्या प्रथम/द्वितीय, ..... को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि अंकेक्षण समाप्ति के उपरान्त प्रतिवेदन तीन एवं चार प्रतियों में अगले कार्यालय से 7 दिवस में रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर रखी जावें। विलम्ब से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाकर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन मुख्यालय जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर को सूचनार्थ।
- श्री ध्यानचन्द कुमावत लेखा0/श्री महेश गुप्ता, कार्या. सहायक/श्री नवरतन बैरवा, व0 लि0, आन्तरिक अंकेक्षण दल अनुभाग (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
- रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।  
फोन नं. 0141-2225334